

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(15)राज-1/2016

जयपुर, दिनांक : 28.06.2017

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज0 जयपुर
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. समस्त राजस्व अपील प्राधिकारी/मू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी राज0
5. निबंधक, राजस्व मण्डल राज0 अजमेर।
6. आयुक्त, मू प्रबंध विभाग राज0 जयपुर।
7. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग राज0 बीकानेर।
8. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, अजमेर।

विषय : राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2017 की अवधि
दिनांक 15.07.2017 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा. मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015-16 में पैरा संख्या 195 एवं 2017-18 में पैरा संख्या 284 पर की गयी बजट घोषणाओं की निरन्तरता में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार -2017' दिनांक 08 मई से 30 जून, 2017 तक की अवधि में आयोजित किया जा रहा है। अभियान अवधि में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित 15 अन्य विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाकर राजस्व विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है।

निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2017 की अवधि दिनांक 30 जून, 2017 से आगे दिनांक 15 जुलाई, 2017 तक बढ़ायी जाती है। कृपया तदनुसार कार्यवाही संपादित करावें।

भवदीय

(एस.आर. पिलानिया)

संयुक्त शासन सचिव

कृपउ...2

प्रतिलिपि : आवश्यक होने पर कार्यवाही/आदेश/अधिसूचना प्रसारित करने हेतु प्रेषित है -

1. विशेषाधिकारी (आरसी), मा. मुख्यमंत्री महो. को सूचनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्व विभाग को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला व सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
6. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज0, अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1 / क-4) विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पशुपालन, जनजाति क्षेत्रिय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, उर्जा, जनस्वास्थ्य अभियानिकी, आयोजना, सहकारिता, सैनिक कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम एवं नियोजन, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
10. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व/उपनिवेशन विभाग।



संयुक्त शासन सचिव